94

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः /XVIII(II)/2014–20(01)/2014
देहरादूनः दिनांकः 25 जून, 2014

कार्यालय ज्ञाप

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नया **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** प्रख्यापित किया गया है।

2– अतः उक्त भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–12 में अर्न्तनिहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक सर्वेक्षण व सर्वेक्षण के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण दल गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. सम्बन्धित नायब तहसीलदार।
2. अर्जन/अपेक्षक निकाय के तहसील स्तर के अधिकारी (अनुपलब्धता की दशा में जिला या राज्य स्तर के अधिकारी)।
3. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या-1837 (1)/XVIII(II)/2014 एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संतोष बडोनी)
उप सचिव।